ग्राम पंचायत जमानाबाद, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023

<u>भाग-एक</u>

1. प्रस्तावना

{क} ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत जमानाबाद, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि "01.04.21 से 31.03.23" तक के लेखों का अंकेक्षण हि.प्र राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री कुलदीप कुमार	01-04-21 से 31-03-23

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री दिनेश कुमार	01-04-21 से 01-09-21
2.	श्री अश्वनी कुमार	02-09-21 से 31-03-23

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत जमानाबाद के अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {₹ लाखों में}
1.	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	29.74
2.	6	प्रियासॉफ्ट के तहत दर्ज की गई प्राप्ति/व्यय व मैनुअल रोकड़ बही में दर्ज किये गये आंकड़ों में अंतर, प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया जाना	0.8
3.	7	गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.43
4.	9	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से राजस्व हानि	0.30
5.	12	क्रय की गई सामग्री के लिए आपूर्तिकर्ताओं को नगद भुगतान करना	0.24
6.	13	प्रत्येक क्रय स्टोर/स्टॉक की प्रविष्टि न करना	3.76
7.	15	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	0.40
8.	16	अनुमोदित दर की अपेक्षा अधिक दर से अदायगी के फलस्वरूप आपूर्तिकर्ता को अधिक व अनियमित भुगतान करना	0.04

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

प्राय: यह भी देखने में आया है कि गत लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी जो अत्यंत चिंताजनक है। अतः ग्राम पंचायत इन लंबित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्रवाई करनी सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके।

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में निम्नलिखित दर्शायी गई है।

जमानाबाद में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	03/22	11/21
2022-23	03/23	03/23

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत जमानाबाद, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹5,600**/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 152 दिनांक 27.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जमानाबाद से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत जमानाबाद द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{क} स्व: स्त्रोत:- ग्राम पंचायत जमानाबाद के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" तक स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	299402.80	225793.05	525195.85	267563.00	257632.85
2022-23	257632.85	168188.00	425820.85	316468.00	109352.85

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि "04/2019 से 03/2020" तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1	पैरा 3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि उपरांत
2	पैरा 4	अनिर्णीत	
3	पैरा 5	अनिर्णीत	
4	पैरा 6	अनिर्णीत	
5	पैरा 7	अनिर्णीत	
6	पैरा 8	अनिर्णीत	
7	पैरा 9	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित
8	पैरा 10	अनिर्णीत	
9	पैरा 11	अनिर्णीत	
10	पैरा 12	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित
11	पैरा 13	अनिर्णीत	
12	पैरा 14	अनिर्णीत	
13	पैरा 15	अनिर्णीत	
14	पैरा 16	अनिर्णीत	
15	पैरा 17	अनिर्णीत	
16	पैरा 18	अनिर्णीत	

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत जमानाबाद, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/2021 से 31/03 /2023" तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 19-12-2023 से दिनांक 27-12-2023 के दौरान पंचायत कार्यालय,

{ख} अनुदान:- ग्राम पंचायत जमानाबाद के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण सलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	1422530.03	6284682.83	7707212.86	5204252.95	2502959.91
2022-23	2502959.91	6234556.00	8737515.91	5763028.00	2974487.91

{ग} दिनांक 31.03.23 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम संख्या	शीर्ष	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1.	General/5th FC	KCC	20033022697	248398.63
2.	General/VKVNY	KCC	50055357910	130013.08
3.	15 FC	IDBI	159104000055851	2585666.00
4.	GENERAL	KCC	20146006177	199746.05
5.	GENERAL/14TH FC	KCC	50055376239	0.00
6.	14TH FC	HDFC	50100243481108	0.00
7.	SBM	KCC	50055386747	0.00
	हस्तगत रोकड़			17.00
कुल योग				**3163840.76**

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

Bank reconciliation		
	Balance as per Cash Book as on 31.03.2023	3083840.76
ADD	On dated 27.03.2023 Grant Amount of RS. 80000 of 15th FC has been credited into bank but not recorded in cash book till dated	80000.00
	Total	**3163840.76**
	Balance as per Pass Book as on 31.03.2023	**3163840.76**

4.2 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृतं सार को तैयार करते हुये एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय-व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

5. अनुदान राशि ₹29.74 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-क}** के अनुसार दिनांक 31-03-23 तक अनुदान राशि ₹2974487.91 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 150(1) दिनांक 27.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जमानाबाद से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GP/ZAMANABAD.06 दिनांक 27.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः वर्णित शेष अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. प्रियासॉफ्ट के तहत दर्ज की गई प्राप्ति/व्यय व मैनुअल रोकड़ बही में दर्ज किये गये आंकड़ों में अंतर, प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में ₹0.8 लाख का अंतर पाया जाना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम. एम. पी.) प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लीकेशन है जिनमें पंचायत की दैनिक कार्यवाही जैसे कि पंचायत द्वारा की गई सेवाओं/सामान खरीद/भुगतान सम्पति इत्यादि का इन्द्राज करना था।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि हेतु चयनित माह के दौरान प्रियासॉफ्ट में दर्शायी गई प्राप्ति व व्यय के आंकड़ों व पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गये मैनुअल रोकड़ बही के आंकड़ों में निम्न अंतर पाया गया:-

(क) प्रियासॉफ्ट में दर्ज मासिक प्राप्ति /व्यय व रोकड़ बही के अनुसार मासिक खर्च में अंतर (except manrega)

प्राप्ति					भुगतान		
क्रम स.	माह	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	11/21	267545.00	171743.00	95802	158723.00	158723.00	0
2	03/22	871141.75	527234.05	343907.7	728363.71	469979.75	258383.96
3	03/23	869247.00	869247.00	0	306144.00	304044.00	2100

(ख) प्रियासॉफ्ट में दर्ज वार्षिक प्राप्ति /व्यय व रोकड़ बही के अनुसार वार्षिक खर्च में अंतर (Except MNREGA)

प्राप्ति					भुगतान		
क्रम स.	वर्ष	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	21-22	3547089.58	2833283.88	713806.58	2062907.91	1794623.95	268283.96
2	22-23	2763852.00.00	2763852.00	0	2706323.00	2440604.00	265719

(ग) प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए गए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:- (Except MNREGA)

वर्ष	प्रियासॉफ्ट के अनुसार बैंक शेष	बैंक पासबुक के अनुसार शेष+(CASH IN HAND)	अंतर
2022-23	3083823.76+ 17(Cash in Hand) = 3083840.76	**3163840.76**	**80000**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 150(3) दिनांक 27.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP/ZAMANABAD.06 दिनांक 27.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अन्तर के कारणों का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण ₹0.43 लाख का पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 33 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 102 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को अपने कार्यक्षेत्र में निर्धारित दर से गृह कर आरोपित करने तथा उसके संग्रहण का अधिकार है।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्त्रोतों जहाँ से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा-जोखा दिया है के लिए उधार दावा करते हुए, मासिक लेखे और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2021-22 के दौरान ₹50 प्रति वर्ष व वर्ष 2022-23 के दौरान ₹100 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹43345 के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.23 को शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ख"** व नीचे तालिका में दिया गया है:-

सम्पति कर:-

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2021-22	1010	50	23645	50500	74145	650	73495
2022-23	1040	100	73495	104000	177495	134150	43345

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी। मांग व वसूली रजिस्टर का साधारण प्रारूप -10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का सही पता लगाया जा सके। अत: गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण न करना तथा गृह कर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 150(2) दिनांक 30.10.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP/ZAMANABAD.06 दिनांक 27.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राजस्व की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टावर से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे:-

प्रधान सचिव, सूचना प्रोद्योगिकी द्वारा जारी अधिसूचना संख्या DIT.Dev-(IT)2005(Misc.)96 दिनांक 21 जून 2017 के पैरा 3.4 के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल टावर की स्थापना पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को ₹4000 से बढ़ाकर ₹10000 स्थापना शुल्क एवम प्रतिवर्ष ₹2000 से बढ़ाकर ₹5000 नवीनीकरण शुल्क प्राप्त करने का अधिकार है। पैरा 3.4 (ii)के अनुसार हर 5 साल के पूरा होने पर नवीनीकरण शुल्क में 25 % की बढ़ौतरी की

जाएगी। पैरा 3.4 (iv) के अनुसार कोई भी मोबाइल टावर कम्पनी यदि अतिरिक्त अन्टेना किसी स्थापित टावर पर लगाएगी तो उसे वार्षिक शुल्क का 60% नवीनीकरण देना होगा।

इसके अतिरिक्त पैरा 3.4 (vi) के अनुसार यदि कोई मोबाइल टावर कम्पनी नोटिस की तिथि से 30 दिन के अंदर शुल्क नही चुकाती है तो उसे प्रति सप्ताह 5% दंड शुल्क भी चुकाना होगा परन्तु यदि लम्बित राशि नोटिस की तिथि से दो माह तक भी नही चुकाई जाती है तो ग्राम पंचायत सम्बन्धित कम्पनी की अनुमति रद्द करने बारे नोटिस जारी कर सकती है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2021-2022 में पंचायत परिक्षेत्र में स्थापित मोबाइल टावर से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया जिससे मोबाइल टावर कंपनी से वसूली योग्य राशि की जाँच अंकेक्षण द्वारा नही की सकी, जो पंचायती राज (वित्त) नियम 2002 के नियम 79(2) की स्पष्ट उलंघना है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 150(4) दिनांक 27.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/ZAMANABAD.06 दिनांक 27.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

9. खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से राशि ₹0.30 लाख की राजस्व हानि:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या स्प्लीमेंटरी पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गयी थी परन्तु आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को निम्न विवरणानुसार ₹**30136**/- का अनियमित भुगतान किया गया था:-

नाम	मात्रा (cum)	फैक्टर	कुल मात्रा	दर (प्रति टन)	राशि (₹)
रेत	62.50	1.62	101.25	60	6075
बजरी	103.65	1.52	157.55	60	9453
रेत	15.86	1.62	25.69	80	2055
बजरी	31.75	1.52	48.26	80	3861
पत्थर	14.87	2.24	33.31	80	2665
				कुल योग	**24109**
				पेनल्टी 25%	**6027**
				कुल योग	**30136/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 151(5) दिनांक 27.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/ZAMANABAD.06 दिनांक 27.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण **रॉयल्टी** की गणना नहीं की जा सकी उतर संतोषजनक नहीं है।

अतः **₹30136/-** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries,102- Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिए जाँचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जाँच अपने स्तर पर करके नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित करें।

10. बिल/ वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संख्यापरीक्षा, संख्याकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2023 के दौरान बिलों का भुगतान हेतू उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है :-

क्र° स°	**वर्ष**	**चयनित माह**	**चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि (₹)**
1.	2021-22	11/21	1458799.00
2.	2022-23	03/23	1346952.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 151(6) दिनांक 27.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/ZAMANABAD.06 दिनांक 27.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

11. बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार "पंचायत के सचिव प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित करेगा" ।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 11/21 व 03/23 के दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि माह 11/21 व 03/23 के दौरान व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल/ वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं थे जो कि उपरोक्त नियमों के विपरीत है|

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 151(7) दिनांक 27.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/ZAMANABAD.06 दिनांक 27.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

12. क्रय की गई सामग्री के लिए आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹0.24 लाख का नगद भुगतान करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 10(2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री के क्रय के लिए आपूर्तिकर्ता को किए जाने वाले संदाय/भुगतान केवल क्रास-चैक द्वारा ही किए जाएँगे।

अंकेक्षण के दौरान पंचायत के अभिलेखों के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नलिखित अदायगियां नगद की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/दिनांक	क्रय की गई सामग्री	भुगतान की गई राशि (₹)
1.	15/26.07.2022	Electricity bill	1097
2.	18/31.08.2021	Office Expenses	2550
3.	30/07.02.2023	स्टेशनरी बिल	4945
4.	33/23.02.2023	Other Expenses	4900

5.	36/23.02.2023	Office Expenses	1225
6.	38/23.02.2023	Other Expenses	4400
7.	41/23.02.2023	Other Expenses	1670
8.	42/23.02.2023	Other Expenses	3000
कुल योग			**23787/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 151(11) दिनांक 27.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/ZAMANABAD.06 दिनांक 27.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में की जाने वाली अदायगियां उपरोक्त नियम के अनुसार क्रास-चैक द्वारा ही की जाएँ तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

13. ₹3.75 लाख के क्रय की स्टॉक प्रविष्टि न करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार प्रत्येक खरीद की स्टॉक प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹375655/- के स्टॉक की प्रविष्टि नहीं की गई थी :-

क्रम संख्या	बिल/वा० संख्या, वर्ष/माह	फर्म का नाम	विवरण	राशि
1.	**224**, दिनांक 17.11.21	मै. धनोटिया इंटरप्राइजेज	प्लांट्स	31500
2.	**201**, दिनांक 17.11.21	मै. धनोटिया इंटरप्राइजेज	प्लांट्स	34875
3.	**202**, दिनांक 17.11.21	मै. धनोटिया इंटरप्राइजेज	प्लांट्स	35025
4.	**203**, दिनांक 17.11.21	मै. धनोटिया इंटरप्राइजेज	प्लांट्स	39175

5.	**204**, दिनांक 17.11.21	मै. धनोटिया इंटरप्राइजेज	प्लांट्स	38525
6.	**205**, दिनांक 17.11.21	मै. धनोटिया इंटरप्राइजेज	प्लांट्स	37225
7.	**206**, दिनांक 17.11.21	मै. धनोटिया इंटरप्राइजेज	प्लांट्स	39250
8.	**225**, दिनांक 17.11.21	मै. धनोटिया इंटरप्राइजेज	प्लांट्स	37130
9.	**100**, दिनांक 17.11.21	मै. धनोटिया इंटरप्राइजेज	प्लांट्स	37225
10.	**226**, दिनांक 17.11.21	मै. धनोटिया इंटरप्राइजेज	प्लांट्स	38225
11.	**188**, दिनांक 17.11.21	मै. सनशाइन वर्क्स	मनरेगा बोर्ड	2500
12.	**189**, दिनांक 17.11.21	मै. सनशाइन वर्क्स	मनरेगा बोर्ड	2500
13.	**190**, दिनांक 17.11.21	मै. सनशाइन वर्क्स	मनरेगा बोर्ड	2500
कुल योग				**375655/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 151(10) दिनांक 27.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/ZAMANABAD.06 दिनांक 27.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. माप पुस्तिकाओं का सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों से नमूना जाँच व सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, सम्परीक्षा, सकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 104 (i) व (ii) के अनुसार ग्राम पंचायत अपने स्तर पर निष्पादित किये जाने वाले संकर्मो की दशा में, तकनीकी सहायक द्वारा निर्माण पर्यवेक्षण अनिवार्य होगा तथा सम्बद्ध कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा, तकनीकी सहायक के तीन लाख रूपये तक की लागत के पैमाइश किये गये संकर्मो के दस प्रतिशत पर परीक्षण जांच संचालित करना अपेक्षित है तथा नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है | नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि उपरोक्त नियम की अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही, जिसमें से कुछ प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	शीर्ष	स्वीकृत राशि	माप पुस्तिका व पेज संख्या
1.	C/o pacca path interlocking tiles, puran chnd houst to Hand pump ward no. 3	मनरेगा	300000	117/17763 pg no.2-3
2.	Construction of Toilet in panchvati	SBM	275000	117/17763 pg no.30-31
3.	Jeepable raod lekh raj land to Samirpur road	मनरेगा	300000	10137 pg no. 97-99

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 151(8) दिनांक 27.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/ZAMANABAD.06 दिनांक 27.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके ऑडिट को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

15 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.40 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹39829/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है :-

क्रम संख्या	वा० संख्या, वर्ष/माह	फर्म का नाम	विवरण	राशि
1	01 दिनाकं 22.11.21	मै. मां ज्वाला ट्रेडर्स	निर्माण सामग्री	39829
कुल योग				39829/-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 151(9) दिनांक 27.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/ZAMANABAD.06 दिनांक 27.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

ग्राम पंचायत द्वारा निविदा सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही कार्यों को करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाये बिना कृत व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में कार्यों को करने से पूर्व आवश्यक निर्धारित औपचारिकताएं विधिवत पूर्ण करने उपरान्त ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए व तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 अनुमोदित दर की अपेक्षा अधिक दर से अदायगी के फलस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹0.04 लाख का अधिक व अनियमित भुगतान करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत मै. धनोटिया इंट्रप्राइजेज को आम के पौधों (Mango plants hybrid) व मौसम्मी के पौधों (Sweat lemon) के लिए ₹240 व ₹220 की दर से भुगतान किया गया था परन्तु वर्ष 2021-22 की निविदाओं की तुलना करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा आम के पौधों (Mango plants hybrid) व मौसम्मी के पौधों (Sweat lemon) के लिए ₹220 व ₹180 की दर को अनुमोदित किया गया था जिसके कारण पंचायत द्वारा ₹4000/- का अधिक भुगतान फर्म को किया गया था, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बिल संख्या/ भुगतान की तिथि	पौधों की संख्या	दर	भुगतान की गयी राशि (A)	पौधों की संख्या	पंचायत द्वारा अनुमोदित दर	भुगतान योग्य राशि (B)	अधिक भुगतान (A-B)
1.	**201**, दिनांक 17.11.21	आम के पौधे(10)	240	2400	आम के पौधे(10)	220	2200	200
2.		मोसंबी के पौधे(10)	220	2200	मौसम्मी के पौधे(10)	180	1800	400
3.	**202**, दिनांक 17.11.21	आम के पौधे(10)	240	2400	आम के पौधे(10)	220	2200	200
4.		मोसंबी के पौधे(10)	220	2200	मौसम्मी के पौधे(10)	180	1800	400
5.	**204**, दिनांक 17.11.21	आम के पौधे(10)	240	2400	आम के पौधे(10)	220	2200	200
6.		मोसंबी के पौधे(10)	210	2100	मौसम्मी के पौधे(10)	180	1800	300
7.	**205**, दिनांक 17.11.21	आम के पौधे10	240	2400	आम के पौधे10	220	2200	200

8.		मोसंबी के पौधे(30)	220	2200	मौसम्मी के पौधे(30)	180	1800	400
9.	**206**, दिनांक 17.11.21	आम के पौधे(10)	240	2400	आम के पौधे(10)	220	2200	200
10.		मोसंबी के पौधे(25)	220	2200	मौसम्मी के पौधे(25)	180	1800	400
11.	**225**, दिनांक 17.11.21	आम के पौधे(10)	240	2400	आम के पौधे(10)	220	2200	200
12.		मोसंबी के पौधों(30)	220	2200	मौसम्मी के पौधों(30)	180	1800	400
13.	**226**, दिनांक 17.11.21	आम के पौधे(10)	240	2400	आम के पौधे(10)	220	2200	200
14.		मोसंबी के पौधों(10)	210	2100	मौसम्मी के पौधों(10)	180	1800	300
							कुल योग	**4000/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 151(12) दिनांक 27.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/ZAMANABAD.06 दिनांक 27.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

17. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख-रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 151(15) दिनांक 27.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/ZAMANABAD.06 दिनांक 27.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अत: वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	---	15(1)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	सहायक अनुदान रजिस्टर, हि. प्र. पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34
5	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)

18. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया।

19. लघु-आपति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई हैं।

20. निष्कर्ष:- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

21 MAR 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का0/प्रति

1555-1559

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)264/2020–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत जमानाबाद, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

21 MAR 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का0/प्रति

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT ZAMANABAD BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA PINCODE 176001

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2021-22	299402.80	225793.05	525195.85	267563.00	257632.85

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2021 IN CASH BOOK 299402.80

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT ZAMANABAD BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA PINCODE 176001

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2022-23	257632.85	168188.00	425820.85	316468.00	109352.85

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK 257632.85

J.A

प्रधान
ग्राम पचायत ज
वि०ख० कांगडा, कांग

परिशिष्ट क - पैरा 5 के सन्दर्भ में

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP ZAMANABAD BLOCK KANGRA FOR THE YEAR 2021-22

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	394693.75	12899.00	407592.75	319408.75	88184.00
2	MGNREGA	0	3677192.00	3677192.00	3677192.00	0.00
3	ZP	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	5TH FC	165243	532186.83	697429.83	326198	371231.83
5	AAY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7	MMAGY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VKVNY	76401.28	490119.00	566520.28	509870.2	56650.08
9	SDRF	0	0.00	0.00	0.00	0.00
10	13TH FC	0	0.00	0.00	0.00	0.00
11	SBM	76241.00	2165.00	78406.00	59999.00	18407.00
12	GRDY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
13	RGSA	0	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	0	0.00	0.00	0.00	0.00
15	MMGPY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	709951.00	1570121.00	2280072.00	311585.00	1968487.00
	TOTAL	**1422530.03**	**6284682.83**	**7707212.86**	**5204252.95**	**2502959.91**

FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP ZAMANABAD BLOCK KANGRA FOR THE YEAR 2022-23

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	88184.00	0.00	88184.00	88184.00	0.00
2	MGNREGA	0.00	3638892.00	3638892.00	3638892.00	0.00
3	ZP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	5TH FC	371231.83	407271	778502.83	439694	338808.83
5	AAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	0.00	0	0.00	0	0.00
7	MMAGY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VKVNY	56650.08	299079	355729.08	225716	130013.08
9	SDRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	13TH FC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	SBM	18407.00	221.00	18628.00	18628.00	0.00
12	GRDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	RGSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	MMGPY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	1968487.00	1889093.00	3857580.00	1351914.00	2505666.00
	TOTAL	**2502959.91**	**6234556.00**	**8737515.91**	**5763028.00**	**2974487.91**

GRANT IN AID AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK **2502959.91**

प्रधान
ग्राम पंचायत जमानाबाद
वि०ख० कांगड़ा, कांगड़ा

J.A

BANK DETAIL OF GP ZAMANABAD BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 01-04-21

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMT
1	General/5th FC	KCC	20033022697	138338.8
2	General/VKVNY	KCC	50055357910	76401.28
3	15 FC	IDBI	159104000055851	709951.00
4	GENERAL	KCC	20146006177	325655.00
5	GENERAL/14TH FC	KCC	50055376239	376377.50
6	14TH FC	HDFC	50100243481108	18316.25
7	SBM	KCC	50055386747	76241.00
8	CASH IN HAND			652.00
			TOTAL	1721932.83

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-22

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMT
1	General/5th FC	KCC	20033022697	280821.63
2	General/VKVNY	KCC	50055357910	56650.08
3	15 FC	IDBI	159104000055851	1919287.00
4	GENERAL	KCC	20146006177	347921.05
5	GENERAL/14TH FC	KCC	50055376239	88184.00
6	14TH FC	HDFC	50100243481108	0.00
7	SBM	KCC	50055386747	18407.00
8	CASH IN HAND			102.00
			TOTAL	2711372.76

BANK DETAIL OF GP ZAMANABAD BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-23

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMT
1	General/5th FC	KCC	20033022697	248398.63
2	General/VKVNY	KCC	50055357910	130013.08
3	15 FC	IDBI	159104000055851	2585666.00
4	GENERAL	KCC	20146006177	199746.05
5	GENERAL/14TH FC	KCC	50055376239	0.00
6	14TH FC	HDFC	50100243481108	0.00
7	SBM	KCC	50055386747	0.00
8	CASH IN HAND			17.00
			TOTAL	3163840.76

प्रधान
ग्राम पंचायत जमानाबाद
वि०ख० कांगड़ा, कांगड़ा

	Bank Reconcilation	
	Cash bookBalance as per cash Bokk as on 31.03.2023	**3083840.76**
ADD	On dated 27.03.2023 Grant Amount of Rs. 80000 of 15th FC has been credited into bank but not recorded in cash book till dated.	80000
	Total	**3163840.76**
	Balance as per pass book on dated 31.03.2023	**3163840.76**

प्रधान
ग्राम पंचायत ज ानाबाद
वि०ख० कांगड़ा, कांगड़ा

J.A

परिशिष्ट -ख पैरा 7 के संदर्भ में

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT ZAMANABAD BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2021-22	1010	50	23645	50500	74145	650	73495

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT ZAMANABAD BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2022-23	1040	100	73495	104000	177495	134150	43345

प्रधान
ग्राम पंचायत जमानाबाद
वि०ख० कांगड़ा, कांगड़ा

J.A